# भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 491/मीडिया नीति/2015/संचार दिनांक : 28 मई, 2015

<u>आदेश</u>

**विषय : राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-राजनैतिक प्रचार अभियान में बल्क एसएमएस/वॉयल मैसेज का प्रयोग-तत्संबंधी।**

आयोग ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि राजनैतिक दल/अभ्यर्थी अपने निर्वाचन प्रचार अभियान में प्राय: बल्क एसएमएस/रिकार्ड वॉयस मैसेज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह, उनके समर्थक/कार्यकर्ता एवं उनका समर्थन करने वाले अन्य संगठन भी उनकी ओर से निर्वाचन प्रचार अभियान करने के लिए उक्त तरीके का सहारा लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से सामान्य एसएमएस गेटवे का प्रयोग करने के अलावा, एसएमएस एवं रिकार्ड मैसेज भेजने के लिए इंटरनेट को भी मोबाइल गेटवे से जोड़ा जाता है। राजनैतिक प्रचार अभियान में दुर्भावनापूर्ण एवं निन्दापरक सामग्रियों को भेजने के लिए कभी-कभी इस सुविधा का दुरूपयोग भी किया जा सकता है और इस प्रकार निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन एवं दंड विधि और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। आयोग ने पुलिस प्राधिकारियों द्वारा ऐसे बल्क एसएमएस का अनुरक्षण करने एवं अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखों में ऐसे बल्क एसएमएस का व्यय शामिल करने के संबंध में अनुदेश दिनांक 5/11/2008 के अपने पत्र सं. 464/अनुदेश/2008/ईपीएस के द्वारा पहले ही जारी कर दिए हैं (प्रति संलग्न)।

2. आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को भेजे जाने वाले ऐसे बल्क एसएमएस की सामग्रियों का अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि इस माध्यम से आपत्तिजनक सामग्रियां प्रसारित न की जा सकें। विधि के अनुसार, एसएमएस के माध्यम से संचार का उक्त माध्यम परिभाषिक तौर पर 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' का ही एक भाग है। आयोग ने दिनांक 15/4/2004 के अपने आदेश सं.

509/75/2004/जेएस-I एवं दिनांक 18/3/2009 के उत्तरवर्ती आदेश के द्वारा टी वी चैनलों, केवल नेटवर्क और रेडियो पर राजनैतिक विज्ञापनों को प्रमाणित करने के लिए जिले एवं राज्य स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया है। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उक्त आदेश में निहित निदेश, इसके पश्चात, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक प्रचार अभियान करने के लिए फोन पर बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज का प्रयोग करने पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

3. तदनुसार, सोशल मीडिया सहित निर्वाचन मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणन के संबंध में आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 एवं 25 अक्तूबर, 2013 के पूर्व पत्रों के क्रम में, आयोग ने निदेश दिया है कि निर्वाचन प्रचार अभियान में फोन पर बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के परिक्षेत्र में होंगे जैसा कि टी.वी. चैनलों/केवल नेटवर्क, निजी एफएम चैनेलों सहित रेडियो, सिनेमा हाल, सार्वजनिक स्थानों एवं सोशल मीडिया में प्रदर्शित ऑडियो-वीडियो के मामले में है। विधिक प्रावधान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य माध्यमों पर लागू होते हैं वैसे ही बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज पर भी लागू होंगे। दिनांक 15.04.2004 के आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का इस प्रयोजनार्थ अनुसरण किया जाएगा।

4. उपर्युक्त को राज्य/जिला एमसीएमसी, राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों, मोबाइल सेवा प्रदाता एवं अन्य संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

आदेश से,

**धीरेन्द्र ओझा**
**(निदेशक)**

सेवा में,

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।